सत्य शक्ति सर्वदा

लेखपाल संघ–जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी० संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग सुजानपुरा, ओमनगर, पुराना बस स्टेशन के सामने, लखन

Web : www.lekhpal.wordpress.com

E-mail : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
: +91-9456225600
पत्राचार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
: +91-9415281875
पत्राचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण

दीपक त्यागी
पश्चिमी जोन
–9536500281

भूपेन्द्र सिंह
मध्य जोन
–9198895639

रामपूजन राम
पूर्वी जोन
–9451510484

कोषाध्यक्ष

विनोद कुमार कश्यप
–9760398504

संगठन मंत्रीगण

सुदेश कुमार
पश्चिमी जोन
–9758547258

मनोज त्रिपाठी
मध्य जोन
–9415434880

विनोद यादव
पूर्वी जोन
–9415678593

लेखापरीक्षक

मूल चन्द्र पटेल
–9695863623

पत्रांक 350/प्र०अ०/   दिनांक 17-02-2020

सेवा में,

मा० मुख्य सचिव महोदय
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषयः– नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति में विभिन्न काडर/श्रोत से बने राजस्व निरीक्षकों का पृथक–पृथक कोटिकम सूची व कोटा निर्धारित किये जाने तक नायब तहसीलदार पदोन्नति की डी0पी0सी0 स्थगित रखने विषयक।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि नायब तहसीलदार के पदोन्नति के पदों पर रजिस्ट्रार कानूनगों व एल0आर0सी0 का 09 प्रतिशत तथा राजस्व निरीक्षक (क्षेत्रीय/पर्यवेक्षक)का 41 प्रतिशत कोटा निर्धारित है। राजस्व निरीक्षक (क्षेत्रीय/पर्यवेक्षक) के पदों पर लगभग 400 सीधी भर्ती वर्ष 2015–16 के राजस्व निरीक्षक कार्यरत हैं तथा शेष पदों पर 76 प्रतिशत लेखपाल से व 22 प्रतिशत संग्रह अमीन से तथा 02 प्रतिशत भूमि अध्याप्ति अमीन से पदोन्नत राजस्व निरीक्षक होते है।

महोदय कार्यरत लेखपालों के सापेक्ष राजस्व निरीक्षक पदोन्नति में कम कोटा होने के कारण लेखपाल 35–36 वर्ष की सेवा के पश्चात राजस्व निरीक्षक बन पाते हैं (अभी तक 1982 में नियुक्त लेखपाल राजस्व निरीक्षक नहीं बन पाए है) जिसके बाद उनकी सेवा मात्र 06 माह से 03 वर्ष तक ही शेष रहती है जिसके कारण कोई लेखपाल अपवाद स्वरूप ही नायब तहसीलदार तक की पदोन्नति प्राप्त कर पाता है। जबकि 1995 में नियुक्त संग्रह अमीन राजस्व निरीक्षक बन चुके हैं जिनकी सेवा अवधि 10–15 वर्ष बची रहती है। सीधी भर्ती के कार्यरत लगभग 400 राजस्व निरीक्षकों की सेवा अवधि मात्र 03 वर्ष ही हुई है जिनका सेवाकाल अभी 30 वर्ष से अधिक अवशेष होने के कारण यह अधिक समय तक पदोन्नत पद पर कार्यरत रहेगें जिससे पद रिक्त न होने के कारण लेखपाल संवर्ग से राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हो पायेगा ।

अवगत कराना है कि रजिस्ट्रार कानूनगो व भूलेख लिपिक ~~[illegible]~~ के पद पर 2008 तक के बैच के लेखपाल नियुक्त हैं जबकि नवम्बर 1982 तक के लेखपाल ही राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत हो पाये हैं। इस विसंगति को दृष्टिगत रखते हुये नायब तहसीलदार में भी 41 व 9 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया था। वर्तमान समय में भी राजस्व निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती, अमीन एवं भूमि अध्याप्ति एवं राजस्व निरीक्षक से प्रोन्नति होने का नियम है। राजस्व निरीक्षक चयन सूची में अमीन संवर्ग से 1995 तक के नियुक्त अमीन व 2015 में सीधी भर्ती से नियुक्त राजस्व निरीक्षक हैं। वर्तमान में नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति चयन वर्ष के अनुसार होने की व्यवस्था है । संयुक्त कोटिक्रम सूची के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त सूची में लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नत राजस्व निरीक्षकों की सेवानिवृत्ति के कारण राजस्व निरीक्षक कोटे में नायब तहसीलदार पद पर सीधी भर्ती के राजस्व निरीक्षक व अमीन संवर्ग से प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक ही पदोन्त हो जायेगें। इससे बहुत बड़ी विसंगति उत्पन्न होगी एवं लेखपाल संवर्ग से नायब तहसीलदार में पदोन्नति शून्य हो जायेगी। विदित हो कि र0का0 व एल0आर0सी0 के कुल पद 1147 के सापेक्ष 9 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है तदनुरूप संग्रह अमीन व भूमि अध्याप्ति अमीन

Scanned by CamScanner

संवर्ग से प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक के 941+85= 1026 पदों के सापेक्ष 8 प्रतिशत तथा सीधी भर्ती के 400 कार्यरत राजस्व निरीक्षकों के सापेक्ष 3 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जाये तथा शेष 30 प्रतिशत कोटा लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नत राजस्व निरीक्षकों हेतु निर्धारित किया जाये साथ ही यह भी निवेदन है कि राजस्व निरीक्षक पदों पर विभिन्न संवर्ग/ श्रोत से आये कार्मिकों (र0का0/एल0आर0सी0, संग्रह अमीन व भूमि अध्याप्ति अमीन से प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक, सीधी भर्ती से चयनित राजस्व निरीक्षक व लेखपाल संवर्ग से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक) की वरिष्ठता/ कोटिकम सूची पृथक– पृथक तैयार की जाये तथा उक्त सूचियों में से उनके कोटे के अनुसार नायब तहसीलदार पदों पर पदोन्नति की जाये जिससे लेखपाल संवर्ग से पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों की भी नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति सुनिश्चित की जा सके।

अतः महोदय से निवेदन है कि राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली 2014 में नायब तहसीलदार पदोन्नति में रजिस्ट्रार कानूनगों व एल0आर0सी0 की भांति सीधी भर्ती के राजस्व निरीक्षक, संग्रह अमीन व भूमि अध्याप्ति अमीन से पदोन्त राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल से पदोन्नत राजस्व निरीक्षक हेतु पृथक–पृथक कोटिकम सूची तैयार कर कोटा निर्धारित करने की कृपा करें जिससे लेखपाल संवर्ग को भी नैसर्गिक न्याय व मौलिक अधिकार के तहत नायब तहसीलदार पदों पर समानुपातिक अवसर सुनिश्चित हो सके तथा यह भी निवेदन करना है कि **जब तक उक्त वरिष्ठता सूची व कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक नायब तहसीलदार पदोन्नति के पदों पर डी0पी0सी0 न करायी जाये।**

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री

Scanned by CamScanner

संघ शक्ति सर्वदा

लेखपाल संघ–जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी० संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग सुजानपुरा, ओमनगर, पुराना बस स्टेशन के सामने, लखन

Web : www.lekhpal.wordpress.com E-mail : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
: +91-9456225600
पत्रव्यवहार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001(उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
: +91-9415281875
पत्रव्यवहार : कृष्णा नगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

• उपाध्यक्षगण

दीपक त्यागी
पश्चिमी जोन
–9536500281

भूपेन्द्र सिंह
मध्य जोन
–9198895639

रामपूजन राम
पूर्वी जोन
–9451510484

• कोषाध्यक्ष

विनोद कुमार कश्यप
–9760398504

• संगठन मंत्रीगण

सुदेश कुमार
पश्चिमी जोन
–9758547258

मनोज त्रिपाठी
मध्य जोन
–9415434880

विनोद यादव
पूर्वी जोन
–9415678593

• लेखापरीक्षक

मूल चन्द्र पटेल
–9695863623

पत्रांक 354/म.स. दिनांक 17-02-2020

सेवा में,

मा0 मुख्य सचिव महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

विषयः–– <u>लेखपालों की डी0पी0सी0 वर्ष 2018–19 कराये जाने विषयक।</u>

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि वर्ष 2018–19 की डी0पी0सी0 जुलाई 2019 में हो जानी चाहिये थी किन्तु अभी तक नहीं हो पायी है जबकि लगभग 1000 राजस्व निरीक्षक के पद रिक्त हैं जिससे शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। संज्ञान में आया है कि राजस्व निरीक्षक संघ की आपत्ति के बाद 12 फरवरी को निर्धारित डी0पी0सी0 की बैठक अनिश्चितकाल के लिये टाल दी गयी है। जबकि उक्त डी0पी0सी0 से राजस्व निरीक्षक संवर्ग को कोई हित निहित नहीं है अपितु लेखपाल, संग्रह अमीन, भूमि अध्याप्ति अमीन से राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नति हो रही है और डी0पी0सी0 बार–बार टालने से पात्र लेखपाल बिना प्रोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयन वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 की डी0पी0सी में दिव्यांग कोटे के लेखपालों एवं संग्रह अमीनों की पदोन्नति राजस्व निरीक्षक पदों पर दिव्यांग कोटे की डी0पी0सी0 लम्बित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त डी0पी0सी0 शीघ्र करायी जाये जिससे 37–38 वर्ष की सेवा कर चुके लेखपालों को राजस्व निरीक्षक पदोन्नति का सम्मान प्राप्त हो सके।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मा0 अपर मुख्य सचिव राजस्व महोदया, उ0प्र0 शासन।
2. मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदय, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री

Scanned by CamScanner